न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 220 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 30.08.2018

1. खेमा पिता गमेरा जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रभुलाल पिता खेमा उर्फ खीमा जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. वरदीचन्द पिता दयाराम जाति मेघवाल निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. कनीराम पिता मांगू जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
प्रकरण संख्या 29/2018 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018

उपस्थित– 1. कृष्णगोपाल मालू –अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. मनोहरलाल दक–रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 3

(2) प्रकरण संख्या – डिक्री 207 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 30.08.2018

1. खेमा पिता गमेरा जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रभुलाल पिता खेमा उर्फ खीमा जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. वरदीचन्द पिता दयाराम जाति मेघवाल निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. कनीराम पिता मांगू जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
प्रकरण संख्या 29/2018 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018

उपस्थित- 1. कृष्णगोपाल मालू -अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. मनोहरलाल दक-रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पो.सं. 3

निर्णय **दिनांक 13.07.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा डूंगला तहसील डूंगला की खाता सं. 169 मे दर्ज आराजी नम्बर 566 रकबा 0.08 हैक्टेयर आराजी नम्बर 567 रकबा 1.59 आराजी नम्बर 568 रकबा 0.05 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 569 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.77 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा राधाबाई उर्फ मोडीबाई पत्नि मांगू नायक निवासी देवली से दिनांक 12.01.2017 को क्रय की। रेस्पोडेन्ट वादी की आराजीयात के पडौस पूर्व मे बगदीराम की आराजी पश्चिम मे खेमा की आराजी उत्तर मे डूंगला देवली रोड दक्षिण मे खेमा की आराजी इसी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी वादग्रस्त भूमिं मे से 1/6 हक हिस्सा जो राधाबाई का था क्रय किया और इसी अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज है। शेष कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्से मे से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व उसकी माता कंकुबाई काबिज काश्त है। कंकुबाई की मृत्यु हो चुकी है और उसका सम्पूर्ण हिस्सा जो कि गमेरा का था। प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट के पास ही है। इस प्रकार 1/2 हक हिस्से पर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 काबिज है, व 1/6 हक हिस्से पर अपीलन्ट सं. 2 काबिज है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 1/6 हिस्से पर काबिज है। वक्त रजिस्ट्री दिनांक 14.03.2017 को अनुबन्ध के आधार पर भी अपीलान्ट सं. 2 ने उक्त इकरार किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी रजिस्ट्री के अनुसार ही उक्त वर्णित पडौसान के मध्य ही काबिज है। तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपनी कृषि भूमि का बंटवाडा कराते है तो रजिस्ट्री के अनुसार ही करवाये तो कोई आपत्ति नही है। रकबे की कमी बेसी को लेकर आये दिन कोई विवाद नही हो जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के विरूद्ध बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की तामील नही होते हुए उक्त प्रकरण दिनांक 29.06.2018 को लोक अदालत मे नियत किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ही उपस्थित हुआ। प्रतिवादीगण की न तो तामील हुई थी न ही प्रतिवादीगण अपीलान्टगण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहखातेदार राधीबाई बेवा मांगु नायक ने अपने हक व हिस्से की कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं.1 को विक्रय कर देना मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/6 शेष हक व हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण का नियत करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार डूंगला को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवाडा तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से फर्द बंटवाडा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडा अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे बंटवाडा नियम 18 से 20 की पालना किये बगैर तैयार किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 को पारित की।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने इस न्यायालय मे अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से दोनो अपीले प्रस्तुत होने पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील क्रमांक डिक्री 220/2018 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 207/2018 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 की अलग-अलग अपीले अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत हुई जिसमे विवादित कृषि आराजीयात पक्षकारान व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एक ही होने से एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। दोनो ही पत्रावलियो मे निर्णय की एक-एक प्रति संलग्न हो।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने बंटवाडा व घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 3 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की किसी प्रकार से दिनांक 05.06.2018 तक तामील नही हुई थी। बिना तामील के अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट डूंगला मे नियत की गई जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 3 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई न ही अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए। न ही किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा ही प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया गया। न ही पक्षकारान को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सूचित किया गया। अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 20 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज को सुन बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपीले क्रमांक डिक्री 220/2018 व अपील क्रमांक डिक्री 207/2018 स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने सहखातेदार राधाबाई से उसके सहखातेदारी मे दर्ज 1/6 हक व हिस्सा जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 12.01.2017 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उसी अनुसार नामान्तकरण सं. 3059 दिनांक 20.01.2017 से राधी बेवा मांगु के बजाय रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/6 हक हिस्सा सहखातेदारी मे दर्ज हुआ है। जिसके बंटवाडे का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प डूंगला मे नियत की गई। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र बंटवाडा योग्य होना मानते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज 1/6 हक व हिस्से के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार कमिश्नर से फर्द बंटवाडा तलब किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.07.2018 को प्राप्त हुआ। उक्त फर्द बंटवाडे का अवलोकन किया जाकर फर्द बंटवाडे के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत अपील सरहीन होकर निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलो को सारहीन होना बताते हुए निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपने द्वारा खरीदशुदा कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के 1/6 हक व हिस्से से दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराये जाने का वादपत्र अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत दिनांक 29.06.2018 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार डूंगला को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवाडा तलब किया गया। अधीनस्थ कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से फर्द बंटवाडा दिनांक 20.07.2018 को तैयार करवाया गया है। उक्त फर्द बंटवाडा बनाये जाने से पूर्व वादपत्र के पक्षकारान को किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी किया जाना पत्रावली मे नही पाया जाता है। न ही बंटवाडा नियम 18 से 20 की पालना की गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त फर्द बंटवाडा दिनांक 20.07.2018 के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 20.07.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायोचित प्रतीत नही होती है। जबकि उक्त प्रकरण मे दिनांक 29.06.2018 को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के मध्य हक व हिस्से के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 220/2018 निरस्त की जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 207/2018 स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 220/2018 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण सं. 29/2018 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06. 2018 यथावत रखी जाती है। अपील क्रमांक क्रमांक डिक्री 207/2018 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण सं. 29/2018 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को पत्रावली इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह कमिश्नर के द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर उभयपक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुना जाकर विधि अनुसार पुनः अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। पक्षकारान अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे दिनांक 24.08.2022 को स्वंय उपस्थित रहे। निर्णय की एक-एक प्रति अपील क्रमांक डिक्री 220/2018 व अपील क्रमांक डिक्री 207/2018 की पत्रावलियो मे संलग्न की जावे। अपील क्रमांक डिक्री 220/2018 मे डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 220/2018 /डिक्री

① श्री खेमा पिता गमेरा जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

② प्रभूलाल पिता खेमा उर्फ खीमा जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री कारीचन्द पिता रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

(2) कनीराम पिता मांगू जाति नायक निवासी देवली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

(3) भूमिधारी तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी डूंगला दि. 29-6-2018 प्रकरण सं. 29/2018 अन्तर्गत धारा 53, 88 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 13-7-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णगोपाल मालू रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री मनोहरलाल ढाकड़ रेस्पो. 1, पूरणमल स्वर्णकार - राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 3 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलान्टगण प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29-6-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 220/2018 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण सं. 29/2018 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29-6-2018 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि .....-..... रुपये हैं, ...-..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .....-..... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 13-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 13-7-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	